दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 14 फरवरी 2025

उद्घोषित: 18 फरवरी 2025

आ.प्र.अ.(मू.प.) (वाणि.) 26/2025, सि.वि.आ. 8864/2025 व सि.वि.आ. 8865/2025

FAO(OS) (COMM) 26/2025, CM APPL. 8864/2025 & CM APPL. 8865/2025

सम्मान फिनसर्व लिमिटेड .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री मुकुल रोहतगी एवं श्री राजीव नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री अनिरुद्ध बाखरू, सुश्री आध्या चावला, श्री ऋषि अग्रवाल, श्री अंकित बनाती, सुश्री नंदिनी चौधरी, सुश्री रिंकू कक्कड़, श्री अभय अग्निहोत्री एवं श्री प्रथम मेहरोत्रा, अधिवक्तागण।

बनाम

स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री नीरज किशन कौल, श्री संदीप सेठी, श्री अरविंद वर्मा, श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री साईकृष्णा राजगोपाल, श्री सिद्धार्थ चोपड़ा, श्री हिमांशु बगाई, श्री कुशल गुप्ता, श्री कुबेर महाजन, सुश्री प्रीथा, सुश्री श्रेय सेठी, सुश्री रिया कुमार, श्री रजत सिन्हा, सुश्री समृद्धि शर्मा,

सुश्री इरा महाजन तथा सुश्री धन्या एस. कृष्णन, अधिवक्तागण – प्रत्यर्थी सं.-1 की ओर से।

आ.प्र.अ.(मू.प.) (वाणि.) 27/2025, सि.वि.आ. 8869/2025, सि.वि.आ. 8870/2025, सि.वि.आ. 8871/2025, सि.वि.आ. 8872/2025 व सि.वि.आ. 8873/2025
FAO(OS) (COMM) 27/2025, CM APPL. 8869/2025, CM APPL. 8870/2025, CM APPL. 8871/2025, CM APPL. 8872/2025 & CM APPL. 8873/2025

सम्मान कैपिटल लिमिटेड और अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री मुकुल रोहतगी, श्री राजीव नय्यर, श्री रवि सिकरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री अनिरुद्ध बाखरू, सुश्री आध्या चावला, श्री ऋषि अग्रवाल, श्री अंकित बनाती, सुश्री नंदिनी चौधरी, सुश्री रिंकू कक्कड़, श्री अभय अग्निहोत्री तथा श्री प्रथम मेहरोत्रा, अधिवक्तागण।

बनाम

स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री नीरज किशन कौल, श्री. संदीप सेठी, श्री अरविंद वर्मा, श्री. जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री साइकृष्ण राजगोपाल, श्री सिद्धार्थ चोपड़ा, श्री हिमांशु बगई, श्री कुशल गुप्ता, श्री कुबेर

महाजन, सुश्री प्रिथा, सुश्री श्रेय सेठी, सुश्री रिया कुमार, श्री रजत सिन्हा, सुश्री समृद्धि शर्मा, सुश्री इरा महाजन और सुश्री धन्या एस. कृष्णन, अधिवक्तागण – प्रत्यर्थी सं.-1 की ओर से।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय दिगपाल

निर्णय
18.02.2025

न्या. सी. हरि शंकर,

1. यह निर्णय सि.वि. आ. सं.8864/2025 (CM Appl. 8864/2025) एवं सि.वि. आ. सं. 8869/2025 (CM Appl. 8869/2025) का निपटान करता है।

2. इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने सि.वा. (वाणि) 871/2024[1] (CS (Comm) 871/2024) में अंतर.आ. 41270/2024 (IA 41270/2024) में 10 फरवरी 2025 को पारित निर्णय द्वारा सम्मान कैपिटल लिमिटेड[2] और सम्मान फिनसर्व लिमिटेड[3] को व्यापार के दौरान किसी भी ऐसे चिह्न/नाम का उपयोग, विज्ञापन, अपनाने या किसी अन्य तरीके से प्रदर्शित करने से रोक दिया है जो प्रत्यर्थी स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट

[1] **स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
[2] **इसके बाद "एससीएल"**
[3] **इसके बाद "एसएफएल"**

लिमिटेड के पंजीकृत व्यापार-चिह्न के समान या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हों, जिन्हें इस प्रकार सारणीबद्ध किया जा सकता है:

क्र. सं.	आवेदन सं.	आवेदन की तिथि	वर्ग	चिह्न	स्थिति
1.	3967632	08/10/2018	36	स्वमान (SVAMAAN) (शब्द)	08/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
2.	3971167	11/10/2018	36	स्वमान (SVAMAAN) डिवाइस अर्थात् –	11/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
3.	3969849	10/10/2018	09	स्वमान (SVAMAAN) (शब्द)	10/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
4.	3971163	11/10/2018	09	स्वमान (SVAMAAN) डिवाइस अर्थात् –	11/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
5.	3967630	08/10/2018	16	स्वमान (SVAMAAN) (शब्द)	08/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत

6.	3971164	11/10/2018	16	स्वमान (SVAMAAN) डिवाइस अर्थात् —	11/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
7.	3967631	08/10/2018	35	स्वमान (SVAMAAN) (शब्द)	08/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
8.	3971165	11/10/2018	35	स्वमान (SVAMAAN) डिवाइस अर्थात् —	11/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
9.	3969850	10/10/2018	42	स्वमान (SVAMAAN) (शब्द)	10/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत
10.	3971166	11/10/2018	42	स्वमान (SVAMAAN) डिवाइस अर्थात् —	11/10/2028 तक पंजीकृत और नवीनीकृत

3. इस प्रक्रिया में, **सम्मान कैपिटल लिमिटेड तथा सम्मान फिनसर्व** लिमिटेड को "**सम्मान कैपिटल**" (SAMMAAN CAPITAL),

,

, तथा

[4] चिह्नों के उपयोग से प्रतिबंधित किया गया है।

4. इससे व्यथित होकर, एससीएल और एसएफएल ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13 सह पठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XLIII नियम 1 (द) के तहत ये अपीलें दायर की हैं। अपीलार्थीगण ने अपनी अपीलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 10 फरवरी 2025 के आक्षेपित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त करने की मांग की है।

5. इन अपीलों के साथ आवेदन संलग्न हैं– [आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि) 26/2025 में सि.वि.आ. सं. 8864/2025 तथा आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि) 27/2025 में सि.वि.आ. सं. 8869/2025 {CM Appl. 8864/2025 in FAO (OS) (Comm) 26/2025 और CM Appl. 8869/2025 in FAO (OS) (Comm) 27/2025} – जिनके माध्यम से आक्षेपित निर्णय के संचालन पर अंतरिम स्थगन की प्रार्थना की गई है।

6. अपीलार्थीगण अपनी अपीलों की स्वीकृति तथा विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के संचालन पर अंतरिम स्थगन की मांग करते हैं। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का निवेदन है कि अपीलें गुणागुण रहित हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय को लगता है कि अपीलों में विचारणीय मुद्दे

[4] आगे चलकर इन्हें सामूहिक रूप से "**सम्मान** (SAMMAAN) चिह्न" संदर्भित किया जाएगा।

उठाए गए हैं, तो प्रत्यर्थी वैकल्पिक रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह के यह निवेदन करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के संचालन पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

7. ये अपीलें दिनांक 13 फरवरी 2025 को इस न्यायालय के अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थीं। चूँकि पीठ के एक विद्वान सदस्य ने स्वयं को अलग कर लिया (recused), तथा अपीलार्थीगण द्वारा व्यक्त की गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, अपीलें उसी दिन अर्थात् 13 फरवरी 2025 को अपराह्न 2.30 बजे हमारे समक्ष सूचीबद्ध की गईं। चूँकि हमें अभिलेखों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, हमने इस विषय को अगले दिन अर्थात् 14 फरवरी 2025 के लिए पुनः अधिसूचित किया और किसी भी पक्ष को हानि से बचाने हेतु यह निर्देश दिया कि 13 फरवरी 2025 को जो स्थिति विद्यमान थी (status quo), वह 14 फरवरी 2025 तक बनी रहे, जब अपीलों को प्रातः 10.30 बजे विचारार्थ लिया जाएगा।

8. हमने इस विषय को नियत समयानुसार 14 फरवरी 2025 को प्रातः 10.30 बजे विचारार्थ लिया। दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए। अपीलार्थीगण का प्रतिनिधित्व श्री मुकुल रोहतगी एवं श्री राजीव नैयर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा श्री अनिरुद्ध बखरु, अधिवक्ता द्वारा किया गया। प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व श्री संदीप सेठी, श्री नीरज किशन कौल, श्री अरविंद वर्मा तथा श्री जयंत के. मेहता, विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता द्वारा किया गया। 14 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न सत्र (pre-lunch session) का संपूर्ण समय तर्क-वितर्क में व्यतीत हुआ।

9. दोनों पक्षकारगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलें, जिन्हें आगे वर्णित किया जाएगा, स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि मामला विचारणीय है और इस पर विचार किया जाना आवश्यक है।

10. अतः हम अपीलों पर नोटिस जारी करते हैं और उन्हें अंतिम निपटान हेतु दिनांक 21 अप्रैल 2025 को अपराह्न 2.30 बजे के लिए सूचीबद्ध करते हैं।

11. अतः यह आदेश केवल उस स्थिति के प्रश्न का निराकरण करता है, जो अंतराल अवधि (interregnum) में विद्यमान रहने दी जानी चाहिए।

12. विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनने के बाद, 14 फरवरी 2025 को आदेश सुरक्षित रख लिए गए। दिनांक 17 फरवरी 2025 को हमने विद्वान अधिवक्तागण, विशेषकर प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण से यह प्रश्न किया कि क्या वे सि.वि.आ. 8864/2025 तथा सि.वि.आ. 8869/2025 पर प्रत्युत्तर (replies) दाखिल करना चाहते हैं और इस कारण पारित आदेश अंतरिम स्वरूप (ad interim in nature) का हो, अथवा वे इस बात के लिए सहमत हैं कि सि.वि.आ. 8864/2025 तथा सि.वि.आ. 8869/2025 का निपटान प्रस्तुत

निवेदनों के आधार पर किया जाए। विद्वान अधिवक्तागण ने एक स्वर में न्यायालय से सि.वि.आ. 8864/2025 और सि.वि.आ. 8869/2025 का निपटारा करने का अनुरोध किया।

13. इसलिए हम ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

14. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह प्रतिवाद है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का आक्षेपित निर्णय अंतिम रूप से अपीलों की सुनवाई एवं निर्णय होने तक प्रभावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रार्थना करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा 13 फरवरी 2025 को निर्देशित यथास्थिति (status quo) अपीलों के अंतिम सुनवाई तक जारी रहे; जबकि प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, यह प्रतिवाद करते हैं कि स्थगनादेश प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता।

15. गुणागुण से इतर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण ने सुविधा के संतुलन (balance of convenience) के पहलू पर पृथक रूप से निवेदन प्रस्तुत किए हैं।

<u>संदर्भ: सुविधा का संतुलन</u>

16. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि डोमेन नाम www.sammaancapital.com का पंजीकरण दिनांक 12 जून 2023 को

किया गया था। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को ऐसे लेख प्रकाशित हुए, जिनमें यह अभिलिखित किया गया कि अपीलार्थी, जिसे पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर लिया है। दिनांक 20 नवंबर 2023 को प्रत्यर्थी ने www.sammaancapital.com डोमेन नाम तथा कॉरपोरेट नाम को सम्मान कैपिटल लिमिटेड में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में एससीएल को रोकने और बंद करने (cease and desist) का नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस (रोकने और बंद करने) का उत्तर एससीएल द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2023 को दिया गया। कंपनी रजिस्ट्रार[5] द्वारा एससीएल को दिनांक 21 मई 2024 को नाम परिवर्तन के पश्चात् "सम्मान कैपिटल लिमिटेड" नाम से नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया। इसके उपरांत, एससीएल को दिनांक 28 जून 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक[6] से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - निवेश एवं ऋण कंपनी[7] के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

17. इस अंतरिम अवधि में, एससीएल ने सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों के पंजीकरण हेतु आवेदन किया। इसके प्रत्युत्तर में, प्रत्यर्थी ने 16 जुलाई 2024 को सम्मान कैपिटल लिमिटेड द्वारा "सम्मान कैपिटल (SAMMAAN CAPITAL)" चिह्न के पंजीकरण के लिए दायर आवेदन के विरुद्ध आपत्ति दाख़िल की।

---

[5] इसके बाद "आरओसी"

[6] आरबीआई

[7] एनबीएफसी- आईसीसी

18. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ सम्मान फिनसर्व लिमिटेड के संबंध में भी स्वीकार कर ली गई हैं।

19. इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहा कि सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों का उपयोग अपीलार्थीगण द्वारा अक्टूबर 2023 से किया जा रहा है, जब एससीएल ने "सम्मान कैपिटल लिमिटेड" नाम को अपने कॉरपोरेट नाम के रूप में अपनाया था; तथा यह भी कि मार्च से मई 2024 के मध्य ही एससीएल ने व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार के समक्ष सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों के पंजीकरण हेतु आवेदन कर दिया था।

20. इसके विपरीत, सि.वा.(वाणि) 871/2024 (CS (Comm) 871/2024), जिसमें वर्तमान में आक्षेपित निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है, केवल 3 अक्टूबर 2024 को दायर किया गया था। अंतर.आ. 43249/2024 (I.A. 43249/2024) तथा आप. वि.अ. 32198/2024 (CRL. M.A. 32198/2024) पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 17 दिसंबर 2024 को तर्क सुनकर आदेश सुरक्षित किया गया था और आक्षेपित व्यादेश आदेश 10 फरवरी 2025 को पारित किया गया। इस समय तक, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों का उपयोग किए जाने के बाद से एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और एससीएल द्वारा व्यापार-चिह्न रजिस्ट्रार के पास सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों के पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाने के बाद से लगभग 10 महीने बीत चुके हैं।

21. इसी बीच, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण निरंतर रूप से सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों का उपयोग करते रहे हैं और बाजार में सम्मान (SAMMAAN) चिह्न अपीलार्थीगण के साथ स्थायी रूप से जुड़ चुके हैं। इस संदर्भ में यह भी इंगित किया गया है कि एसएफएल और एससीएल पूर्व में क्रमशः इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाने जाते थे तथा वे सुविख्यात "इंडिया बुल्स (India Bulls)" चिह्न के अंतर्गत कार्यरत थे। यह कहा गया है कि अपीलार्थीगण की मैक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक व्यापक, प्रतिष्ठित और सम्मानित उपस्थिति है तथा अब तक जनता ने सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों को अपीलार्थीगण के साथ जोड़कर पहचानना प्रारंभ कर दिया है।

22. चूँकि सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों का उपयोग अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2023 के उत्तरार्ध से 2024 के प्रारंभ तक किया जा रहा है, और आक्षेपित निर्णय दिनांक 10 फरवरी 2025 को पारित किया गया है तथा वह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है, इसलिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह प्रस्तुतिकरण है कि यदि अपीलार्थीगण को अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो उनका व्यवसाय पूर्णतः ठप हो जाएगा। मामले के गुणागुण से परे – जिन पर अपीलार्थीगण गंभीरता से ज़ोर देते हैं – यह प्रस्तुत किया गया है कि इन परिस्थितियों में अपनाया जाने वाला सम्यक और संतुलित दृष्टिकोण यही

होगा कि अपीलों को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए और 13 फरवरी 2025 को दी गई यथास्थिति को तब तक जारी रहने दिया जाए।

23. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, और उन्होंने ***वांडर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड***[8] के निम्नलिखित अंशों का हवाला दिया है, जो बौद्धिक संपदा मामलों में पारित अन्तर्वर्ती आदेशों के साथ अपील में हस्तक्षेप की सीमाओं को परिभाषित करते हैं:

> "14. खंड पीठ के समक्ष दायर अपीलें, एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के विरुद्ध थीं। ऐसी अपीलों में, अपील न्यायालय सामान्यतः प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा किए गए विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने विवेक से उसे प्रतिस्थापित नहीं करेगा, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ यह दिखाया जाए कि विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से, असंगत रूप से, विकृत रूप से किया गया है, या जहाँ न्यायालय ने अन्तर्वर्ती व्यादेश के अनुदान या अस्वीकृति को नियंत्रित करने वाले स्थापित विधि सिद्धांतों की अनवेक्षा की हो। विवेकाधिकार के प्रयोग के विरुद्ध की गई अपील को सिद्धांत पर अपील कहा जाता है। अपील न्यायालय सामग्री का पुनर्मूल्यांकन कर, निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास नहीं करेगा, यदि निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर युक्तिसंगत रूप से संभव था। सामान्यतः, अपील न्यायालय केवल इस आधार पर हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकता कि यदि उसने विचारण स्तर पर इस विषय पर विचार किया होता तो वह विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचा होता। यदि विचारण न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग युक्तिसंगत एवं न्यायिक

[8] **1990 Supp SCC 727**

ढंग से किया गया है, तो मात्र यह तथ्य कि अपील न्यायालय कोई भिन्न दृष्टिकोण अपनाता, हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद, ***प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पौथन जोसेफ***[9] मामले में न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने कहा:

> ".....ये सिद्धांत सुस्थापित हैं, किंतु जैसा कि विस्काउंट साइमन ने ***चार्ल्स ओसेंटन एंड कंपनी बनाम झानाटन***[10] में कहा है– '... अपील न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग में पारित आदेश को पलटने संबंधी विधि भली-भाँति स्थापित है, और जो भी कठिनाई उत्पन्न होती है, वह केवल किसी विशेष मामले में स्थापित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण होती है।"

24. ***वांडर*** के उपर्युक्त अंश में निर्धारित मानकों की कसौटी पर परखे जाने पर यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर, एक दिन के लिए भी, स्थगन दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। इसके विपरीत, यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलें प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य हैं।

<u>गुणागुण में</u>

25. अपीलार्थीगण द्वारा किस सीमा तक एक विचारणीय मामला स्थापित किया गया है, इसका आकलन करने के लिए, दोनों पक्षकारगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।

---

[9] **AIR 1960 SC 1156**
[10] **1942 AC 130**

<u>गुणागुण पर परस्पर विरोधी दलीलें</u>

26. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण के समान उपभोक्ता वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला नहीं कहा जा सकता। सभी को व्यापक रूप से वित्तपोषण कंपनियों के रूप में वर्गीकृत करना, यह प्रस्तुत किया गया है, वित्तपोषण व्यवसाय की वास्तविकताओं की अनदेखी करता है। अपीलार्थीगण बड़े ऋण प्रदान करते हैं, जो अनिवार्य रूप से ₹40 लाख से अधिक होते हैं। वे इस राशि से कम के ऋण वे प्रदान नहीं करते। वास्तव में, श्री रोहतगी का कहना है कि अपीलार्थीगण के अधिकांश ग्राहक ₹50 करोड़ या उससे अधिक की राशि के ऋण की मांग करते हैं। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी एक माइक्रो-फाइनेंसिंग संस्था है, जो किसी भी राशि का ऋण प्रदान करती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जो उपभोक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रकार के ऋण लेना चाहते हैं, वे कभी भी प्रतिवादी के पास नहीं जाएंगे; इसी प्रकार, प्रत्यर्थी के उपभोक्ता ऋण के लिए अपीलार्थीगण के पास नहीं आएंगे।

(ii) औसत बुद्धि तथा अपूर्ण स्मरण शक्ति वाले उपभोक्ता की कसौटी, जिसे सामान्यतः "मैन ऑन द क्लाफाम ओमनीबस (man on the Clapham omnibus)" के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऐसे मामलों

में लागू नहीं होती। न्यायालय को उन उपभोक्ताओं की प्रकृति के प्रति सचेत रहना होता है, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वादी और प्रतिवादी करते हैं। वित्तपोषण कंपनियों से ऋण लेने वाले उपभोक्ता, विशेष रूप से अपीलार्थीगण से ऋण लेने वाले उपभोक्ता, साक्षर एवं ऋण-वित्तपोषण के मामलों में जानकार होते हैं और इसलिए वे यह जानते हैं कि किसी विशेष स्थिति में उन्हें प्रत्यर्थी के पास जाना है या अपीलार्थीगण के पास। ऐसे उपभोक्ता द्वारा अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण समझ लेने या इसके विपरीत किसी प्रकार की भ्रम की संभावना नहीं है।

(iii) इस संदर्भ में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यादेश प्रदान किए जाने के मुख्य आधारों में से एक यह निष्कर्ष था कि स्वमान (SVAMAAN) और सम्मान (SAMMAAN) शब्द ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि ध्वन्यात्मक समानता की परीक्षा निम्नलिखित प्रसिद्ध कसौटी पर की जानी चाहिए, जिसे न्या. पार्कर द्वारा ***सन्दर्भ: पिआनोटिस्ट एप्लीकेशन***[11] में प्रतिपादित किया गया है:

> "*आपको दोनों शब्दों को लेना होगा। आपको उनका आकलन उनके दृश्य रूप और उच्चारण (ध्वनि)–दोनों के आधार पर करना होगा। आपको उन वस्तुओं/सेवाओं पर भी विचार करना होगा जिन पर ये शब्द लागू किए जाने हैं। आपको उस ग्राहक के स्वरूप और वर्ग पर भी विचार करना होगा, जो उन*

11

> *वस्तुओं/सेवाओं को खरीदने की संभावना रखता है। वास्तव में, आपको सभी परिवेशीय परिस्थितियों पर विचार करना होगा; और आगे यह भी देखना होगा कि यदि इन दोनों व्यापार चिह्नों का उनके-अपने स्वामियों द्वारा सामान्य रूप से व्यापार चिह्न के रूप में उपयोग किया जाए, तो क्या होने की संभावना है।* यदि इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भ्रम उत्पन्न होगा–अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे और दूसरे को अनुचित लाभ मिले, बल्कि यह कि जनसामान्य के मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न होगा जिससे वस्तुओं/सेवाओं के संबंध में भ्रम होगा–तो ऐसे मामले में आप पंजीकरण से इंकार कर सकते हैं; बल्कि कहना सही होगा कि आपको पंजीकरण से इंकार करना ही होगा।
>
> (जोर दिया गया)

अतः ध्वन्यात्मक समानता की कसौटी लागू करते समय न्यायालय को जिन कारकों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए, उनमें से एक प्रमुख कारक वस्तुओं या सेवाओं के उपभोक्ता की प्रकृति है। यह कहा गया है कि वित्तीय ऋण प्राप्त करने वाले उपभोक्ता में अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी के बीच भ्रमित होने की संभावना नहीं है। किसी भी स्थिति में, केवल "स्वमान (SVAMAAN)" और "सम्मान (SAMMAAN)" के बीच समानता के कारण ऐसे भ्रम की कोई संभावना नहीं है।

(iv) यह और कहा गया है कि स्वमान (SVAMAAN) और सम्मान (SAMMAAN) शब्द जनता से संबंधित हैं। इनका हिंदी में सामान्यतः प्रसिद्ध अर्थ है, और किसी को भी "सम्मान" शब्द पर एकाधिकार स्थापित करने का अधिकार नहीं है। "सम्मान" एक प्रशंसात्मक विशेषण

है, और किसी व्यक्ति के लिए इसे अपने ब्रांड नाम के रूप में उपयोग करने पर व्यादेश नहीं लगाया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो, पंजीकृत "स्वमान" (SVAMAAN) चिह्न का स्वामी होने के नाते, प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा "सम्मान" (SAMMAAN) चिह्न के उपयोग पर स्थायी रूप से रोक नहीं लगा सकता है, जो एक पूरी तरह से अलग और सुप्रसिद्ध विचार और प्रभाव व्यक्त करता है।

(v) जब इन दोनों चिह्नों को लेबल चिह्नों के रूप में देखा जाता है, तो उनका स्वरूप पूरी तरह से भिन्न होता है:

अपीलार्थी के व्यापार चिह्न	प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न
SAMMAAN SAMMAAN FINANCE SAMMAAN FINSERVE	SVAMAAN

(vi) इस संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय के पैरा 43 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो इस प्रकार है:

> "43. प्रतिवादीगण की ओर से जिन उपर्युक्त निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की गई है, उन पर मैंने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। उपर्युक्त सभी निर्णयों में प्रतिस्पर्धी चिह्नों का

> पहला शब्द/अक्षर/ध्वनि-खंड[12] अलग-अलग था, जो वर्तमान वाद में स्थिति नहीं है। सामान्य उच्चारण में शब्द के प्रारंभिक ध्वनि-खंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उच्चारण का बल प्रारंभिक शब्द/ध्वनि-खंड/अक्षर पर ही होता है। ... यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उपर्युक्त निर्णयों को वर्तमान मामले से अलग करता है।"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि वर्तमान मामले में दोनों चिह्नों का पहला ध्वनि-खंड समान है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि "स्वमान (SVAMAAN)" चिह्न का पहला ध्वनि-खंड "एसवीए (SVA)" है, जबकि "सम्मान (SAMMAAN)" चिह्न का पहला ध्वनि-खंड "एसएएम (SAM)" है। अतः, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वयं ही आक्षेपित निर्णय के पैरा 43 में अपनाई गई प्रथम ध्वनि-खंड की समानता की कसौटी को लागू करने पर यह तर्क दिया गया है कि "स्वमान (SVAMAAN)" और "सम्मान (SAMMAAN)" चिह्नों को समान नहीं बल्कि असमान माना जाना चाहिए।

(vii) विद्वान एकल न्यायाधीश पैरा 44 में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए ***वसुन्धरा ज्वैलर्स बनाम किरात विनोदभाई जादवानी***[13], के निर्णय, जिस पर अपीलार्थीगण ने भरोसा किया था, को इस प्रकार अलग ठहराते हैं:

[12] *sic* letter

[13] 2022 SCC OnLine Del 2996

> '44. प्रतिवादीगण ने वसुन्धरा ***ज्वैलर्स बनाम किरात विनोदभाई जादवानी*** के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें वादी ने शब्द 'वसुन्धरा (VASUNDHRA)' पर विशिष्ट अधिकार का दावा किया था, यद्यपि उसके पास 'वसुन्धरा (VASUNDHRA)' शब्द-चिह्न का कोई पंजीकरण नहीं था। न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया, जिसका चिह्न वादी के चिह्नों से दृष्टिगत रूप से भिन्न था। वर्तमान मामले में, वादी के पास 'SVAMAAN' शब्द-चिह्न के वैध पंजीकरण हैं। अतः उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले में प्रतिवादीगण की सहायता नहीं कर सकता।'"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ***वसुंधरा ज्वेलर्स*** के निर्णय को **वर्तमान मामले से भिन्न ठहराने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन कि उस मामले में प्रतिस्पर्धी चिह्न दृश्य रूप से भिन्न थे, वास्तव में प्रत्यर्थी के बजाय अपीलार्थीगण के पक्ष में जाना चाहिए था। दृश्य रूप से,** यह कहा गया है कि संबंधित चिह्नों SAMMAAN CAPITAL और SVAMAAN के **बीच स्पष्ट रूप से कोई समानता नहीं है। अतः, यदि डिवाइस चिह्न की दृश्य असमानता को ही कसौटी माना जाए, तो यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी को किसी भी प्रकार के व्यादेश का अधिकार नहीं है। परस्पर विरोधी चिह्नों के बीच दृश्य असमानता ही एकमात्र आधार है,** जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***वसुंधरा ज्वेलर्स*** के निर्णय को भिन्न

ठहराया, जबकि वह इस न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय होने के कारण उन पर बाध्यकारी था और वास्तव में हम पर भी बाध्यकारी है। यह कहा गया है कि केवल इसी आधार पर भी आक्षेपित निर्णय पर स्थगन दिया जाना चाहिए।

(viii) ***वसुंधरा ज्वैलर्स*** के फैसले के संदर्भ में, हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि वसुंधरा के पास "वसुंधरा (Vasundhra)" शब्द चिह्न का पंजीकरण नहीं था, जबकि प्रत्यर्थी के पास "स्वमान (SVAMAAN)" शब्द चिह्न का पंजीकरण है, यह निवेदन किया जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सर्वविदित है कि यदि प्रतिवादीगण के चिह्न का मुख्य शब्द ही उल्लंघनकारी है, तो प्रतीक चिह्न भी स्वतः ही उल्लंघनकारी हो जाएगा। इस प्रकार, शब्द चिह्न पंजीकरण का होना या न होना कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पैदा कर सकता।

(ix) इसके पश्चात विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 45 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:

> "45. उपर्युक्त विधिक पूर्व निर्णयों से जो स्थिति उभरकर आती है, वह यह है कि आक्षेपित चिह्न का वादी के पंजीकृत व्यापार चिह्न से पूरी तरह समान होना आवश्यक नहीं है और उसमें कोई भी मामूली अंतर महत्वहीन होगा। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित

> मत है कि प्रतिस्पर्धी चिह्न संरचनात्मक, ध्वन्यात्मक और वैचारिक रूप से एक दूसरे के इतने निकट हैं कि प्रतिवादीगण के सम्मान (SAMMAAN) चिह्न वादी के स्वमान (SVAMAAN) चिह्नों के भ्रामक रूप से समान प्रतीत होते हैं और पूंजी/वित्त/वित्तीय सेवाएँ (CAPITAL/ FINANCE/ FINSERVE) शब्द, एक अलग लोगो और अन्य दृश्य रूप से भिन्न तत्व जैसे अतिरिक्त तत्व कोई अंतर नहीं पैदा करेंगे।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानकर स्पष्ट त्रुटि की है कि वर्तमान मामले में परस्पर विरोधी चिह्न संरचनात्मक, ध्वन्यात्मक और वैचारिक रूप से एक-दूसरे के निकट हैं। संरचनात्मक रूप से, चिह्न लोगो, फ़ॉन्ट, रंग और समग्र रूप-रंग में पूरी तरह भिन्न हैं। वैचारिक रूप से, “स्वमान (SVAMAAN)” और “सम्मान (SAMMAAN)” अलग-अलग विचार व्यक्त करते हैं–जहाँ “स्वमान (SVAMAAN)” आत्म-सम्मान का भाव व्यक्त करता है, वहीं “सम्मान (SAMMAAN)” सम्मान, प्रशंसा अथवा अलंकरण का भाव व्यक्त करता है। ध्वन्यात्मक रूप से भी यह प्रस्तुत किया गया है कि क्योंकि “स्वमान (SVAMAAN)” और “सम्मान (SAMMAAN)” के प्रथम ध्वनि-खंड अलग हैं, इसलिए उन्हें ध्वन्यात्मक रूप से समान नहीं कहा जा सकता। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान मामले में परस्पर विरोधी चिह्नों

को संरचनात्मक, ध्वन्यात्मक और वैचारिक रूप से एक-दूसरे से निकट मानने में स्पष्ट त्रुटि की है।

(x) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह भी इंगित किया कि अपनी सभी प्रचार सामग्री में अपीलार्थीगण ने प्रमुख रूप से स्पष्टीकरणात्मक लोगो "पहले इंडियाबुल्स होम लोन्स के रूप में जानी जाने वाली (formerly known as Indiabulls Home Loans)" शामिल किया है। अपीलार्थीगण द्वारा अंतर.आ. 41270/2024 (IA 41270/2024) के उत्तर में एससीएल के विज्ञापन का एक स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया गया है, इस प्रकार:

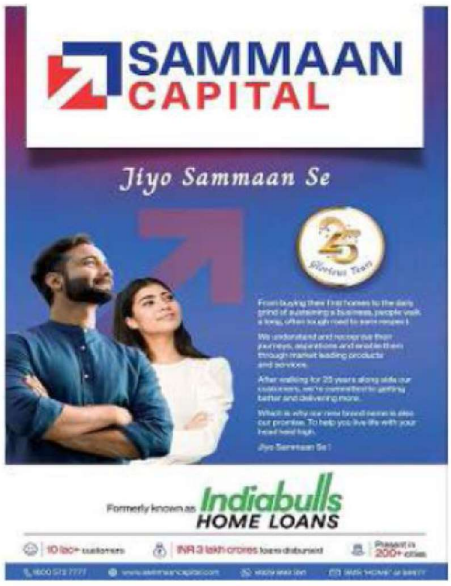

एक बार जब यह केविएट उनकी सभी प्रचार सामग्रियों में पाया जाता है, तो यह कहा गया है कि भ्रम की संभावना काफी हद तक समाप्त हो जाती है। यह निवेदन किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने

आक्षेपित निर्णय के पैरा 46 में इस पहलू पर जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें पूरी तरह से गलती की है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस संदर्भ में यह माना है कि– (क) "इंडियाबुल्स (Indiabulls)" का संदर्भ संक्रमणकाल के दौरान था और इसलिए "पहले इंडियाबुल्स होम लोन्स के रूप में जानी जाने वाली (formerly known as Indiabulls Home Loans)" वाक्यांश का उपयोग अस्थायी था, तथा (b) "पहले इंडियाबुल्स होम लोन्स के रूप में जानी जाने वाली (formerly known as INDIABULLS)" शब्दों का समावेश केवल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(3) के अनुपालन हेतु किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि जहाँ पहला निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है, वहीं दूसरा निष्कर्ष अप्रासंगिक है। यह कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह मान लेने का कोई आधार नहीं है कि "पहले इंडियाबुल्स के रूप में जानी जाने वाली (formerly known as INDIABULLS)" वाक्यांश का उपयोग अस्थायी या संक्रमणकालीन था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निर्देशानुसार कहा है कि वे अपनी सभी भौतिक तथा डिजिटल प्रचार सामग्रियों और विज्ञापनों में "पहले इंडियाबुल्स के रूप में जानी जाने वाली (formerly known as INDIABULLS)" वाक्यांश को शामिल करने के लिए तैयार हैं और यदि न्यायालय ऐसा निर्देश दे, तो वे इस स्पष्टीकरणात्मक वाक्यांश को और अधिक प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए भी तैयार हैं। इस पहलू पर

विद्वान एकल न्यायाधीश की दूसरी टिप्पणी के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि "पहले इंडियाबुल्स के रूप में जानी जाने वाली (formerly known as INDIABULLS)" लोगो को कंपनी अधिनियम की धारा 12(3) के अनुपालन हेतु अपनाया गया था या किसी अन्य कारण से–यह मुद्दा अप्रासंगिक है। प्रासंगिक केवल यह है कि उक्त स्पष्टीकरण के माध्यम से अपीलार्थीगण ने उपभोक्ताओं के मन में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की भ्रम की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया था।

(xi) इस दलील के संबंध में कि अपीलार्थीगण अथवा, इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी के पास आने वाले उपभोक्ता साक्षर उपभोक्ता होते हैं, जो एक को दूसरे की जगह समझने में कभी गलती नहीं करेंगे, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैरा 59 और 60 में निम्नलिखित कहा है:

> "59. प्रतिवादीगण ने यह दलील दी है कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता औसत उपभोक्ता नहीं होता, जिसकी स्मृति अपूर्ण हो, बल्कि वह एक परिष्कृत और साक्षर व्यक्ति होता है, जो परस्पर विरोधी चिह्नों के बीच भ्रमित नहीं होगा।
>
> 60. मैं प्रतिवादीगण की ओर से की गई उक्त दलील से सहमत नहीं हो सकता। ऋण लेने वाले व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि (background) से हो सकते हैं–ग्रामीण या शहरी, साक्षर या निरक्षर, हिंदी-भाषी या गैर-हिंदी भाषी। वादी और प्रतिवादीगण दोनों ही अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करते हैं। वादी ने भारत भर में, ग्रामीण क्षेत्रों सहित, अपने

> संचालन को प्रमाणित करने के लिए बंगाली, ओडिया और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों में प्रकाशित/विज्ञापन भी प्रस्तुत किए हैं (*वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के पृष्ठ 804-805, 889, 892-894, 896-898)।* इस बात की प्रबल संभावना है कि निरक्षर, अर्ध-साक्षर या गैर-हिंदी भाषी उपभोक्ता 'स्वमान (SVAMAAN)' और 'सम्मान (SAMMAAN)' चिह्नों को बहुत समान या लगभग समान मानें और इस कारण दोनों के बीच भ्रमित हो जाएँ। अतः मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वित्तीय सेवा क्षेत्र के उपभोक्ता परिष्कृत होते हैं या परस्पर विरोधी चिह्नों में अंतर करने में सक्षम होते हैं।

यह कहा गया है कि ये निष्कर्ष केवल विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं दिया है और किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं। अर्ध-साक्षर उपभोक्ता, जो छोटे ऋण की तलाश में होते हैं, कभी भी अपीलार्थीगण के पास नहीं जाएँगे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह जाँचते समय कि अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी का उपभोक्ता आधार समान है या नहीं, जमीनी हकीकत पर ध्यान नहीं दिया। महत्वपूर्ण रूप से, प्रत्यर्थी ने अपने वाद में वास्तविक भ्रम का एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया।

(xii) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29(5) को निरर्थक बना देगा। इस संदर्भ में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा ***सिप्ला लिमिटेड बनाम सिप्ला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड***[14] मामले में दिए गए निर्णय पर

[14] **AIR 2017 Bom 75**

निर्भरता व्यक्त की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि धारा 29(5), धारा 29(1) से 29(4) के लिए एक अपवाद है। अतः यदि प्रतिवादी द्वारा अपने व्यापारिक नाम या व्यवसाय के हिस्से के रूप में प्रयुक्त चिह्न को धारा 29(5) के अर्थ में उल्लंघनकारी नहीं पाया जाता, तो उसे धारा 29(1) से 29(4) के अंतर्गत भी उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विशेष रूप से ***सिप्ला*** के पैरा 1 और 31 पर निर्भरता व्यक्त की है, जो इस प्रकार हैं:

> "1. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश द्वारा यह मत व्यक्त किया कि इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा ***रेमंड लिमिटेड बनाम रेमंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड***[15] के मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार आवश्यक है। इस आदेश के पैरा 21 में निम्नलिखित कहा गया है:–
>
> > "21. मैं, बेशक, रेमंड मामले में दिए गए निर्णय से बाध्य हूँ। हालाँकि, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, और ऊपर बताए गए कारणों से, रेमंड मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है; विशेष रूप से निम्नलिखित प्रश्नों पर:
> >
> > (1) जहाँ किसी पक्षकार द्वारा पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग 'नाम' के रूप में, अर्थात् कॉरपोरेट या ट्रेडिंग नाम या शैली के रूप में, उन वस्तुओं के संबंध में किया जाता है जो उन वस्तुओं से भिन्न हैं जिनके लिए व्यापार चिह्न

[15] **2010 SCC OnLine Bom 967**

पंजीकृत है, क्या पंजीकृत व्यापार चिह्न का स्वामी व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29(5) के अंतर्गत उल्लंघन के आधार पर व्यादेश पाने का हकदार है?

(2) क्या पंजीकृत व्यापार चिह्न का कॉरपोरेट नाम या ट्रेडिंग नाम या शैली के रूप में उपयोग, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29(1), 29(2) और 29(4) के दायरे से बाहर है, और क्या वे धाराएँ किसी व्यापार-चिह्न के उपयोग को 'व्यापार-चिह्न के रूप में' तक ही सीमित रखते हैं, अर्थात् 'व्यापार-चिह्न के अर्थ में'?

(3) क्या धारा 29(4) और 29(5) अलग-अलग और परस्पर अनन्य क्षेत्रों में लागू होती हैं, यानी क्या...यदि प्रतिवादी पंजीकृत व्यापार-चिह्न का उपयोग केवल एक कॉर्पोरेट नाम या व्यापारिक नाम या शैली के रूप में भिन्न वस्तुओं के संबंध में करता है, तो क्या वादी के पास कोई उपाय नहीं है और क्या वह व्यादेश का हकदार नहीं है?

(4) क्या ***रेमंड लिमिटेड बनाम रेमंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड*** में खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है?

*****

31. अब उप-धारा (1) और (2) की बात करें, तो वे अपने साधारण अर्थ में केवल 'व्यापार चिह्न बनाम चिह्न' की स्थिति पर लागू होती हैं। दोनों उप-धाराओं में 'व्यापार के दौरान उपयोग' शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे व्यापार चिह्न के कॉरपोरेट/व्यापार/व्यवसायिक नाम के हिस्से के

> रूप में उपयोग का उल्लेख नहीं करतीं। जब प्रतिवादी पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग व्यापार/कॉरपोरेट/व्यवसायिक नाम के हिस्से के रूप में करता है, तब ये दोनों उप-धाराएँ लागू नहीं होतीं।"

(xiii) अपीलार्थीगण ने आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, जीएसटी प्राधिकरणों से नियामक अनुमोदन प्राप्त कर रखे हैं और वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हैं। इसलिए, उन्हें "सम्मान" (SAMMAAN) का उपयोग बंद करने का तत्काल निर्देश देना, उन्हें आर्थिक और अन्य प्रकार से गंभीर खतरे में डाल देगा।

(xiv) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के उस निर्णय पर भरोसा रखा गया है, जो हम में से एक (न्या. सी. हरि शंकर) द्वारा ***प्रिंसटन विश्वविद्यालय न्यासी बनाम वागदेवी एजुकेशनल सोसाइटी***[16] मामले में दिया गया था। विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैरा 29.2 और 29.3 की ओर ध्यान दिलाया गया है, जो इस प्रकार हैं:

> "29.2. यद्यपि वादी का प्रिंसटन चिह्न और प्रतिवादीगण का प्रिंसटन चिह्न दोनों ही शैक्षणिक सेवाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, तथापि यह मानना सरलीकृत और अवास्तविक होगा कि कोई भी उपभोक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को वादी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से भ्रमित कर देगा। *'उपभोक्ता', चाहे वह उल्लंघन या*

[16] **2023 SCC OnLine Del 5524**

नकल बनाने के प्रयोजनों के लिए हो, औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मृति वाला उपभोक्ता होता है, परंतु उसे उन विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं का उपभोक्ता होना चाहिए जिनके संबंध में चिह्न का उपयोग किया गया है। इस सीमा तक, उपभोक्ता 'man on the Clapham omnibus' से भिन्न होता है। इसलिए, भ्रम या धोखे की संभावना, चाहे वह उल्लंघन के लिए हो या नकल बनाकर पेश किए जाने के लिए, की जांच एक छात्र के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए, न कि आम आदमी के दृष्टिकोण से। कोई भी छात्र या व्यक्ति, जो वादी या प्रतिवादीगण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में रुचि रखता है, केवल इस कारण से कि प्रतिवादीगण ने अपने संस्थानों के नाम के हिस्से के रूप में प्रिंसटन (PRINCETON) शब्द का उपयोग किया है, दोनों के बीच भ्रमित नहीं होगा। वादी आज विश्व का अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थान है और यू.एस. के बाहर कोई सेवाएँ प्रदान नहीं करता। प्रतिवादीगण के संस्थान पूरी तरह से तेलंगाना राज्य के भीतर स्थित हैं और उक्त राज्य के बाहर उनकी कोई शाखा भी नहीं है। वादी संस्थान के पोर्टल पर आने वाले किसी भी इच्छुक अभ्यर्थी के गलती से प्रतिवादीगण के संस्थान में शामिल होने की संभावना नहीं है; इसी प्रकार, कोई भी छात्र, जो प्रतिवादीगण के संस्थानों में से किसी एक में शामिल होना चाहता है, उनके आपस में संबंधित होने की भूल में गलती से वादी संस्थान से संपर्क करने की संभावना नहीं है। वादी संस्थान में प्रवेश पाना एक बेहद कठिन प्रक्रिया है, जो असाधारण छात्रों को छोड़कर लगभग सभी के लिए असंभव है, जबकि प्रतिवादीगण संस्थानों में प्रवेश पाना कहीं अधिक सुलभ और आसान है। *इन कारकों के साथ-साथ वादी और प्रतिवादीगण के लोगो में स्पष्ट असमानता के कारण, प्रतिवादीगण द्वारा अपनी*

सेवाओं को वादी की सेवाओं के रूप में या वादी से संबद्ध होने के रूप में प्रस्तुत करने की संभावना असंभव हो जाती है।

29.3. दरअसल, वादी और प्रतिवादीगण के बीच का अंतर इतना अधिक है कि प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आक्षेपित चिह्न का उपयोग करके प्रतिवादीगण अपनी सेवाओं को वादी की सेवाओं के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा रखते थे।

(जोर दिया गया)

(xv) इसके साथ तुलना करते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 52 और 62 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनमें निम्नलिखित कहा गया है:

"52. प्रतिवादीगण ने यह दलील दी है कि वादी छोटे टिकट ऋण प्रदान करता है, जैसे व्यवसाय स्थापित करने, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, शिक्षा, विवाह और चिकित्सीय आपात स्थितियों के लिए। दूसरी ओर, प्रतिवादी सं.1 बड़े टिकट आकार के आवास ऋण प्रदान करता है, जो बंधक-आधारित होते हैं। भले ही ऐसा हो, यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि वादी और प्रतिवादी सं.1 दोनों ही मूलतः ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में हैं। प्रतिवादी सं.1, वास्तव में, किफायती आवास ऋणों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बंधक-आधारित ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में भी है (*प्रतिवादीगण सं.1, 3 और 4 द्वारा दायर दस्तावेज़ों के पृष्ठ 86-88*)। यह सही हो सकता है कि वर्तमान में वादी, प्रतिवादीगण की तुलना में कम राशि के

ऋण प्रदान कर रहा है। परंतु भविष्य में वादी को अपना व्यवसाय विस्तार करने और बड़े ऋण, जिनमें आवास ऋण भी शामिल हैं और जो प्रतिवादी संख्या 1 का मुख्य व्यवसाय है, प्रदान करने से कोई नहीं रोकता।

*****

62. प्रतिवादीगण ने संभावित उपभोक्ताओं के जानकार/परिष्कृत होने के अपने तर्क के समर्थन में, ***सीएफए इंस्टिट्यूट बनाम ब्रिकवर्क फाइनेंस अकैडमी***[17] और ***प्रिंसटन विश्वविद्यालय न्यासी*** के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। हालांकि, उपर्युक्त दोनों निर्णयों में, प्रतिद्वंद्वी पक्षकार शैक्षणिक संस्थान चला रहे थे और उनके लक्षित उपभोक्ता कम से कम स्नातक योग्यता वाले या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे छात्र थे, जो सड़क पर चलने वाले आम व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऋण लेने वाले व्यक्ति शिक्षित भी हो सकते हैं और नहीं भी। अतः ये निर्णय प्रतिवादीगण के मामले को आगे नहीं बढ़ाते।"

विद्वान एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन कि अपीलार्थीगण द्वारा एक ओर और प्रत्यर्थी द्वारा दूसरी ओर दिए गए ऋणों की प्रकृति, आकार और मात्रा में अंतर महत्वहीन है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया तथ्य था कि दोनों ही ऋण प्रदान कर रहे थे–***प्रिंसटन विश्वविद्यालय के न्यासियों*** मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अवलोकन किया है कि, भले ही स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. उस समय सम्मान कैपिटल लि. और सम्मान फिनसर्व

[17] **2020 SCC OnLine Del 2744**

लि. द्वारा दिए गए ऋणों की तुलना में छोटे ऋण प्रदान कर रही थी, फिर भी भविष्य में स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. को अपना व्यवसाय विस्तार करने और बड़े ऋण तथा आवास ऋण प्रदान करने से कोई नहीं रोक सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक और अनुमानित निष्कर्ष है, जो व्यादेश के आदेश का आधार नहीं बन सकता है।

(xvi) इसके अतिरिक्त, आक्षेपित निर्णय के पैरा 62 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***प्रिंसटन विश्वविद्यालय के न्यासियों*** के निर्णय को इस आधार पर अलग माना है कि शैक्षिक संस्थानों के मामले में लक्षित उपभोक्ता वर्ग शिक्षित व्यक्तियों का होता है, जबकि ऋण लेने वाले व्यक्ति शिक्षित भी हो सकते हैं और नहीं भी। यह तर्क दिया जाता है कि यह शायद ही कोई ऐसा आधार है जिसके आधार पर ***प्रिंसटन विश्वविद्यालय के न्यासियों*** के मामले में दिए गए निर्णय को अलग किया जा सके।

(xvii) अंततः, अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि तैयार माल (*off the shelf products*) से संबंधित मामलों के विपरीत, जहाँ ब्रांडिंग उपभोक्ता की क्रय-विकल्प को प्रभावित कर सकती है, वित्तीय ऋण सेवाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया कई स्तरों की जाँच,

परामर्श और सत्यापन से होकर गुजरती है, जिससे भ्रम की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

27. इन सभी कारणों से यह निवेदन किया जाता है कि न्यूनतम रूप से भी अपीलार्थीगण का एक तर्कसंगत मामला बनता है। चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किए जाने से लगभग एक वर्ष पहले तक सम्मान कैपिटल लिमिटेड और सम्मान फिनसर्व लिमिटेड के "सम्मान" चिह्नों के उपयोग के विरुद्ध कोई व्यादेश नहीं थी, इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय का संचालन, जो अचानक यथास्थिति को बदल देता है और तत्काल प्रभाव से लागू होता है, वर्तमान अपील की सुनवाई होने तक स्थगित रखा जाना चाहिए।

28. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत कीं:

(क) बौद्धिक संपदा से संबंधित मामले में दिए गए अंतरिम व्यादेश आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के हर चरण में ***वांडर परीक्षण*** *लागू होता है।* अतः यह अंतरिम व्यादेश के चरण पर भी लागू होता है। जब तक न्यायालय यह न पाए कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विधि को लागू करने के तरीके में कोई स्पष्ट अवैधता की है, तब तक हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।

(ख) प्रत्यर्थी "स्वमान (SVAMAAN)" चिह्नों का पूर्व अपनाने वाला तथा पूर्व पंजीकृत स्वामी है। अतः व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 28(3)[18] लागू नहीं होती। यह अपीलार्थीगण का भी मामला नहीं है कि वे प्रत्यर्थी के चिह्नों से अनभिज्ञ थे।

(ग) अपीलार्थीगण द्वारा इस बात पर दिया गया जोर कि उन्होंने "सम्मान (SAMMAAN)" चिन्हों का प्रयोग शुरू किए हुए कितना समय बीत चुका है, भ्रामक है। प्रत्यर्थी को 5 अक्टूबर 2023 को मीडिया के माध्यम से अपीलार्थीगण द्वारा "सम्मान (SAMMAAN)" चिह्नों के उपयोग की जानकारी मिली और उसने तत्क्षण 20 नवंबर 2023 को रोक और निषेध नोटिस (cease and desist notice) जारी किया। "सम्मान (SAMMAAN)" चिन्हों का वास्तविक भौतिक प्रयोग अपीलार्थीगण के मामले में केवल जुलाई 2024 से ही प्रारंभ हुआ।

(घ) परस्पर विरोधी चिह्न स्पष्ट रूप से ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं। इन दोनों चिह्नों के बीच वास्तव में केवल एक अक्षर का अंतर है, अर्थात् "स्वमान (SVAMAAN)" में "एस (S)" और "ए (A)" के

[18] 28. **पंजीकरण से प्राप्त अधिकार:**

*****

(3) जहाँ दो या अधिक व्यक्ति ऐसे व्यापार चिह्नों के पंजीकृत स्वामी हों, जो एक-दूसरे के समान हों या एक-दूसरे से अत्यधिक मिलते-जुलते हों, वहाँ केवल व्यापार चिह्न के पंजीकरण के कारण (रजिस्टर में दर्ज किसी शर्त या सीमा के अधीन होने की स्थिति को छोड़कर) उनमें से किसी एक व्यक्ति को अन्य पंजीकृत स्वामियों के विरुद्ध उस व्यापार चिह्न के उपयोग का विशिष्ट (एकाधिकार) अधिकार प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा। तथापि, उन सभी व्यक्तियों को, अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध (जो अनुमत उपयोग के रूप में पंजीकृत उपयोगकर्ता न हों), वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें उस स्थिति में प्राप्त होते यदि वह अकेला पंजीकृत स्वामी होता।

बीच स्थित "वी (V)" का अंतर। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों चिह्न ध्वन्यात्मक रूप से समान नहीं हैं।

(ड़) इसके अलावा, यह भी विचार उल्लंघन का मामला है, क्योंकि **स्वमान** (SVAMAAN) और **सम्मान** (SAMMAAN) शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली व्यापक धारणा, जो दोनों ही उत्पादों की प्रशंसा करती है, समान है।

(च) वर्तमान मामले में त्रिपहचान परीक्षण पूरा होता है, क्योंकि चिन्ह भ्रामक रूप से समान हैं, वे समान सेवाओं अर्थात् वित्तीय ऋण से संबंधित हैं और समान ग्राहक वर्ग को लक्षित करते हैं। इस संदर्भ में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष सही है कि भले ही आज प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋण सामान्यतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों की तुलना में बहुत कम हों, यह स्थिति कभी भी बदल सकती है और प्रत्यर्थी यह निर्णय ले सकता है कि वह अपीलार्थीगण द्वारा व्यापृत क्षेत्र में प्रवेश कर ले। इसके लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***सोमानी सिरेमिक बनाम श्री गणेश इलेक्ट्रिक***[19] के निम्नलिखित अंश पर भरोसा किया गया है:

[19] **2022 SCC OnLine Del 3270**

> "61. इस चरण पर यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि वादी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत सिरेमिक टाइल्स से की थी और बाद में सैनिटरीवेयर एवं बाथ फिटिंग्स में विस्तार किया तथा 05.01.2007 को वर्ग 11 में पंजीकरण प्राप्त किया। बाद में वादी ने वाटर हीटर/गीजर के व्यवसाय में भी विस्तार किया और 31.07.2018 को पंजीकरण प्राप्त किया। यह तथ्य उच्चतम न्यायालय के लक्ष्मीकान्त (पूर्वोक्त) मामले के निर्णय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कहा गया कि न्यायालयों को व्यापार चिह्न स्वामी के व्यवसाय के भविष्य विस्तार के प्रति सचेत रहना चाहिए। वादी का यह तर्क उचित है कि केवल इस कारण से कि किसी विशेष वर्ग में व्यापार-चिह्न पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है, स्वामी सदा के लिए उन्हीं वस्तुओं तक सीमित नहीं रहता। विधि समान, समरूप या संबद्ध वस्तुओं में व्यवसाय के विस्तार को मान्यता देती है और यह कारक "नकल बनाने" के दावे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है।

(छ) वास्तविक भ्रम दिखाना आवश्यक नहीं है; भ्रम की संभावना पर्याप्त है। चिन्हों की समानता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिद्वंद्वी चिन्हों के बीच भ्रम की संभावना विद्यमान है।

(ज) वास्तव में, वर्तमान मामले में धारा 29(1) लागू होती है, जिसके लिए *भ्रम की संभावना* दिखाना भी आवश्यक नहीं है। चूंकि अपीलार्थीगण एक ऐसे चिह्न का उपयोग कर रहे हैं जो प्रत्यर्थी द्वारा उपयोग किए गए चिह्न से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है, और इसे

एक व्यापार-चिह्न के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए धारा 29(1) के तहत उल्लंघन स्वतः ही हो जाता है। अत: भ्रम की संभावना के पहलू पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(झ) धारा 29(5) पर किया गया भरोसा पूर्णतः भ्रामक है। धारा 29(5) के अंतर्गत उल्लंघन, धारा 29(1) से स्वतंत्र होता है।

(ञ) उल्लंघन के मामलों में, नकल बनाने के विपरीत, तुलना चिह्न से चिह्न की होती है। इसलिए, भले ही अतिरिक्त सामग्री मौजूद हो, जैसे कि छवियों में अंतर और इसी तरह की चीजें, जो डिवाइस मार्क या लोगो के रूप में देखे जाने पर दोनों चिह्नों को अलग कर सकती हैं, वह कारक केवल यह जांच करते समय प्रासंगिक होगा कि क्या नकल बनाने का मामला मौजूद है। उल्लंघन के पहलू में उसका कोई महत्व नहीं है। इस संबंध में भरोसा ***कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल लैबोरेटरीज***[20] के निम्नलिखित अंशों पर रखा गया है:

> "28. आपत्ति का दूसरा आधार कि निष्कर्ष असंगत हैं, वास्तव में इस त्रुटि पर आधारित है कि नकल बनाने के मुकदमों और पंजीकृत व्यापार-चिह्न के उल्लंघन के मुकदमों में कार्रवाई के कारण और राहत के अधिकार के मूलभूत अंतर को सही ढंग से नहीं समझा गया तथा नकल बनाने की कार्रवाई के आवश्यक तत्वों को पंजीकृत व्यापार-चिह्न के उल्लंघन की कार्रवाई के समान मान लिया गया।

[20] **AIR 1965 SC 980**

हम पहले ही यह इंगित कर चुके हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर वाद में धारा 21 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापार-चिह्न के संबंध में सांविधिक अधिकार के उल्लंघन और उसी चिन्ह के उपयोग द्वारा नकल बनाने दोनों की शिकायत की गई थी। अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया निष्कर्ष, जिस पर अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया, इस आधार पर था कि दोनों पक्षों के माल की पैकिंग में असमानता थी, रंग और अन्य विशेषताओं के कारण दोनों पैकेटों की भौतिक उपस्थिति में अंतर था, उनका सामान्य रूपरंग अलग था और अपीलार्थी के पैकेटों पर उसके कारखाने का नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित था। ये सभी बातें प्रत्यर्थी के उस दावे को खंडित करने के लिए प्रस्तुत की गईं कि अपीलार्थी ने अपने माल को प्रत्यर्थी के माल के रूप में पास कर दिया। ये बातें, जो नकल बनाने के आधार पर राहत के कारण की आत्मा हैं, पंजीकृत व्यापार-चिह्न के उल्लंघन की कार्रवाई में केवल सीमित भूमिका निभाती हैं, क्योंकि पंजीकृत स्वामी को उस चिन्ह पर सांविधिक अधिकार प्राप्त है और किसी अन्य द्वारा उस चिन्ह या उसके रंगरूपानुकरण के उपयोग की घटना के लिए उसके पास सांविधिक उपचार उपलब्ध है। जहाँ नकल बनाने की कार्रवाई सामान्य क़ानून का उपचार है और मूलतः धोखे पर आधारित है – अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा अपने माल को दूसरे के माल के रूप में पास करना – वही उल्लंघन की कार्रवाई का सार नहीं है। उल्लंघन की कार्रवाई एक सांविधिक उपचार है जो पंजीकृत व्यापार-चिह्न के पंजीकृत स्वामी को उस व्यापार-चिह्न के उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है (देखें धारा 21)। नकल बनाने की कार्रवाई में प्रतिवादी द्वारा वादी के व्यापार-चिह्न का उपयोग आवश्यक नहीं है, परन्तु उल्लंघन

की कार्रवाई में यह अनिवार्य शर्त है। निस्संदेह, जहाँ नकल बनाने के साक्ष्य केवल पंजीकृत व्यापार-चिह्न के रंगरूपानुकरण के उपयोग तक सीमित हों, वहाँ दोनों कार्रवाइयों के आवश्यक तत्व सहसंबद्ध हो सकते हैं। परन्तु यहीं पर दोनों के बीच समानता समाप्त हो जाती है। उल्लंघन की कार्रवाई में, वादी को यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी के चिन्ह के उपयोग से धोखा होने की संभावना है। परन्तु जहाँ वादी और प्रतिवादी के चिन्हों के बीच समानता इतनी निकट हो – दृष्टिगत, ध्वन्यात्मक या अन्यथा – और न्यायालय यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि वहाँ नकल है, तो वादी के अधिकारों के उल्लंघन की स्थापना के लिए और कोई अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, यदि वादी के व्यापार-चिह्न की आवश्यक विशेषताएँ प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई हैं, तो यह तथ्य कि माल के रूपरंग, पैकिंग और अन्य लेखन या चिन्ह जिन पैकेटों में वह अपना माल बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है, उनमें स्पष्ट अंतर दिखते हैं या वे पंजीकृत स्वामी के व्यापारिक मूल से भिन्न व्यापारिक उत्पत्ति संकेत करते हैं, अप्रासंगिक होगा। जबकि नकल बनाने के मामले में, यदि प्रतिवादी यह दिखा सके कि जो अतिरिक्त तत्व जोड़े गए हैं वे उसके माल को वादी के माल से अलग करने के लिए पर्याप्त हैं, तो वह दायित्व से बच सकता है।

29. जब यह सिद्ध हो जाए कि प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त वह चिन्ह, जिसके बारे में वादी का दावा है कि वह उसके चिन्ह का उल्लंघन करता है, व्यापार के दौरान उपयोग किया जा रहा है, तो यह प्रश्न कि क्या उल्लंघन हुआ है, दोनों चिन्हों की तुलना द्वारा तय किया जाएगा। यदि दोनों चिन्ह समान

हैं तो और कोई प्रश्न नहीं उठता; क्योंकि तब उल्लंघन सिद्ध हो जाता है। जब दोनों चिन्ह समान नहीं होते, तो वादी को यह स्थापित करना होगा कि प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त चिन्ह वादी के पंजीकृत व्यापार-चिह्न से इतना निकटता से मिलताजुलता है कि वह धोखा देने या भ्रम उत्पन्न करने की संभावना रखता है और वह उन वस्तुओं के संबंध में है जिनके लिए वह पंजीकृत है (देखें धारा 21)। कभीकभी यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या शब्द "या भ्रम उत्पन्न करना" में कोई ऐसा तत्व शामिल है जो पहले से शब्दों "धोखा देने की संभावना" द्वारा कवर नहीं होता; और कभी इसका उत्तर यह दिया गया है कि यह केवल पूर्व परीक्षण का विस्तार है और पहले के शब्दों "धोखा देने की संभावना" द्वारा संकेतित अवधारणा में कोई महत्वपूर्ण अतिरिक्त बात नहीं जोड़ता। परन्तु इससे अलग, चूँकि यह प्रश्न उल्लंघन की कार्रवाई में उठता है, इसलिए दायित्व वादी पर होगा कि वह यह सिद्ध करे कि प्रतिवादी द्वारा व्यापार के दौरान जिन वस्तुओं के संबंध में उसके चिन्ह का पंजीकरण है, उन वस्तुओं में प्रयुक्त व्यापार-चिह्न भ्रामक रूप से समान है। यह आवश्यक रूप से दोनों चिन्हों की तुलना द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए – धोखा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक समानता की डिग्री को वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित कर परिभाषित करना संभव नहीं है। धोखा खाने वाले लोग, निस्संदेह, उन वस्तुओं के खरीदार होंगे और विचार का विषय यही है कि उनके धोखा खाने की कितनी संभावना है। समानता ध्वन्यात्मक, दृष्टिगत या वादी के चिन्ह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मूल विचार में हो सकती है। तुलना का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या वादी के व्यापार-चिह्न की आवश्यक विशेषताएँ प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त चिन्ह में पाई जाती हैं। चिन्ह की

> आवश्यक विशेषताओं की पहचान मूलतः तथ्य का प्रश्न है और यह उस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है जो व्यापार के उपयोग के संबंध में प्रस्तुत किया गया हो। फिर भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अंतिम विश्लेषण में जाँच का उद्देश्य यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा समग्र रूप से प्रयुक्त चिन्ह वादी के पंजीकृत चिन्ह के समान भ्रामक रूप से समान है।

(ट) ***सिप्ला*** मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के संदर्भ में, वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में यह निर्णय प्रत्यर्थी के पक्ष में मामले को पूरी तरह से कवर करता है, इस उद्देश्य के लिए वे निर्णय के पैराग्राफ 1 और 21 पर भरोसा करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

> "1. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश द्वारा यह मत व्यक्त किया कि इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा ***रेमंड लिमिटेड बनाम रेमंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड*** के मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार आवश्यक है। इस आदेश के पैरा 21 में निम्नलिखित कहा गया है:–
>
> > "21. मैं, बेशक, रेमंड मामले में दिए गए निर्णय से बाध्य हूँ। हालाँकि, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, और ऊपर बताए गए कारणों से, रेमंड मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है; विशेष रूप से निम्नलिखित प्रश्नों पर:

(1) जहाँ किसी पक्षकार द्वारा पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग 'नाम' के रूप में, अर्थात् कॉरपोरेट या ट्रेडिंग नाम या शैली के रूप में, उन वस्तुओं के संबंध में किया जाता है जो उन वस्तुओं से भिन्न हैं जिनके लिए व्यापार चिह्न पंजीकृत है, क्या पंजीकृत व्यापार चिह्न का स्वामी व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29(5) के अंतर्गत उल्लंघन के आधार पर व्यादेश पाने का हकदार है?

(2) क्या पंजीकृत व्यापार चिह्न का कॉरपोरेट नाम या ट्रेडिंग नाम या शैली के रूप में उपयोग, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29(1), 29(2) और 29(4) के दायरे से बाहर है, और क्या वे धाराएँ किसी व्यापार-चिह्न के उपयोग को 'व्यापार-चिह्न के रूप में' तक ही सीमित रखते हैं, अर्थात् 'व्यापार-चिह्न के अर्थ में'?

(3) क्या धारा 29(4) और 29(5) अलग-अलग और परस्पर अनन्य क्षेत्रों में लागू होती हैं, यानी क्या...यदि प्रतिवादी पंजीकृत व्यापार-चिह्न का उपयोग केवल एक कॉर्पोरेट नाम या व्यापारिक नाम या शैली के रूप में भिन्न वस्तुओं के संबंध में करता है, तो क्या वादी के पास कोई उपाय नहीं है और क्या वह व्यादेश का हकदार नहीं है?

(4) क्या ***रेमंड लिमिटेड बनाम रेमंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड*** में खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है?

*****

> "21. धारा 29 का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। धारा 29 व्यापार-चिह्न के उल्लंघन के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करती है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि धारा 29 की उपधारा (1) पुराने अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के समान है। उपधारा (1) के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति, जो पंजीकृत स्वामी नहीं है या अनुमत उपयोग के रूप में उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं है, (i) व्यापार के दौरान ऐसा चिन्ह उपयोग करता है जो व्यापार-चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है, (ii) उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में जिनके लिए व्यापार-चिह्न पंजीकृत है, और (iii) इस प्रकार कि उस चिन्ह का उपयोग व्यापार-चिह्न के रूप में उपयोग किया जा रहा है, ऐसा माना जा सके – तो पंजीकृत व्यापार-चिह्न का उल्लंघन होता है। अतः उपधारा (1) को आकर्षित करने के लिए, व्यापार के दौरान ऐसा चिन्ह उपयोग किया जाना चाहिए जो पंजीकृत व्यापार-चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान हो। ऐसे चिन्ह का उपयोग उल्लंघन बन जाता है, यदि वह उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में उपयोग किया जाता है जिनके लिए व्यापार-चिह्न पंजीकृत है, और इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि उस चिन्ह का उपयोग व्यापार-चिह्न के रूप में किया जा रहा है, ऐसा माना जा सके।

(ठ) अपीलार्थीगण ने अपने चिन्ह के रूप में सम्मान (SAMMAAN) शब्द अपनाने का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। इंडियाबुल्स और सम्मान के बीच कोई समानता नहीं है। यदि उन्होंने अपना इंडियाबुल्स चिन्ह बदलने का निर्णय लिया था, तो यह उनकी ज़िम्मेदारी

थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे प्रत्यर्थी के पूर्व में पंजीकृत स्वमान (SVAMAAN) चिन्ह के निकट न आएं।

(ड) इस संदर्भ में प्रत्यर्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय के पैरा 47 से 49 पर निर्भरता व्यक्त की है, जो इस प्रकार है:

> "47. प्रतिवादीगण ने यह निवेदन नहीं किया है कि सम्मान चिन्ह अपनाने के समय वे वादी के अस्तित्व से अवगत नहीं थे। यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि वादी, जब प्रतिवादी संख्या 1 की अपनी पहचान को सम्मान कैपिटल में बदलने की मंशा से अवगत हुआ – जिसका उल्लेख 5 अक्टूबर, 2023 की एक समाचार रिपोर्ट में किया गया था – तो उसने 20 नवम्बर, 2023 को प्रतिवादी संख्या 1 को एक विधिक नोटिस भेजा, जिसमें उसने अपने स्वमान चिन्हों के पंजीकरण का दावा किया और उसे यह निर्देश दिया कि वह सम्मान चिन्ह को अपनाने और उपयोग करने से विरत रहे, क्योंकि ऐसा करना स्वमान चिन्हों के उल्लंघन के समान होगा। अतः प्रतिवादीगण यह बचाव नहीं कर सकते कि वे अपने कॉर्पोरेट नाम बदलने और सम्मान चिन्हों के उपयोग प्रारंभ करने से पूर्व वादी के स्वमान चिन्हों से अवगत नहीं थे।
>
> 48. वादी द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद, प्रतिवादीगण ने अपने कॉर्पोरेट नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, नए नामों के अंतर्गत नियामक अनुमोदन प्राप्त किए और सम्मान चिन्हों के लिए व्यापार-चिह्न पंजीकरण हेतु आवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा सम्मान चिन्ह अपनाने का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है,

> जबकि वे वादी द्वारा उसकी सेवाओं के संबंध में प्रयुक्त स्वमान चिन्हों से अवगत कराए जा चुके थे।
>
> 49. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि स्वमान (SVAMAAN) चिन्हों को अपनाना उनका सद्भावनापूर्ण आचरण था।

(ढ) प्रारंभिक रुचि भ्रम उल्लंघन के मामले में व्यादेश (injunction) को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है। स्वमान और सम्मान, दोनों ही वित्तीय ऋण प्रदान करने की सेवाओं के लिए प्रयुक्त चिन्ह हैं, और इनके बीच प्रारंभिक रुचि भ्रम का एक स्पष्ट मामला बनता है।

(ण) ***प्रिंसटन विश्वविद्यालय के न्यासी*** के मामले में दिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता। उस मामले में न्यायालय उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों से संबंधित था। ऐसे छात्रों और वित्तीय ऋण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। किसी उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश चाहने वाले छात्र के विपरीत, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि वित्तीय ऋण लेने वाला व्यक्ति साक्षर होगा या अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच के अंतर से भली-भांति परिचित होगा।

(त) ***वसुंधरा ज्वैलर्स*** का निर्णय भी स्पष्ट रूप से भिन्न है, क्योंकि उस मामले में वादी के पास वसुंधरा (VASUNDHRA) शब्द-चिन्ह का कोई

पंजीकरण नहीं था। अतः न्यायालय केवल डिवाइस-टू-डिवाइस तुलना से संबंधित था और उसने पाया कि दोनों डिवाइस एक-दूसरे से भिन्न हैं। इस तथ्य के आलोक में कि प्रत्यर्थी के पास स्वमान शब्दचिन्ह का पंजीकरण है, इसलिए ***वसुंधरा ज्वैलर्स*** का निर्णय यहां लागू नहीं होता।

(थ) अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रचार सामग्री में "पूर्व में इंडियन बुल्स के नाम से ज्ञात" शीर्षक शामिल करने पर दिया गया जोर भ्रामक था, क्योंकि यह शीर्षक कंपनी अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार था। उक्त शीर्षक का आवश्यक समावेश अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी के पंजीकृत व्यापार-चिह्न का उल्लंघन करने के आधार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

(द) सुविधा के संतुलन और अपूरणीय हानि के परीक्षण लागू करते समय, विषय को दोनों पक्षों से देखा जाना आवश्यक था। अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी दोनों ही ऋण वित्तपोषण का कार्य करने वाली कंपनियाँ थीं। यह तथ्य कि एक कंपनी दूसरी से बड़ी हो सकती है, अप्रासंगिक था।

(ध) जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों का संबंध है, आक्षेपित निर्णय के पैरा 86 में यह उल्लेख किया गया है कि ये प्रमाणपत्र अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर प्रदान किए गए थे कि, अपने कॉर्पोरेट नाम बदलते समय, उन्होंने न तो प्रत्यर्थी के पंजीकृत व्यापार-चिह्न का उल्लंघन

किया है और न ही करेंगे। इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय उल्लंघन के पहलू पर कोई न्यायनिर्णयन नहीं किया।

(न) न तो स्वमान (SVAMAAN) और न ही सम्मान (SAMMAAN) को वित्तीय ऋण क्षेत्र में publici juris (सार्वजनिक अधिकार) माना जा सकता है। यह स्पष्ट था कि सम्मान चिन्ह अपनाकर अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी की प्रतिष्ठा और साख का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे।

(प) यह, अतः, बेईमानी का मामला है। बेईमानी के मामले में न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में अधिक कठोर होना आवश्यक था, और यह मान्यता होगी कि चिन्हों के बीच भ्रम उत्पन्न होगा तथा बेईमान अपनाने वाला अपने असत्यनिष्ठ प्रयास में सफल होगा।

29. प्रत्युत्तर में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने पहले दिए गए कुछ तर्कों को दोहराते हुए, अपीलार्थीगण द्वारा "सम्मान" चिह्न अपनाने के कारण के संबंध में, आक्षेपित निर्णय के पैरा 20.9 और 20.10 का हवाला दिया, जिसमें अपीलार्थीगण के इस संबंध में तर्क दिए गए हैं, और जो इस प्रकार हैं:

> "20.9. प्रतिवादीगण ने सम्मान (SAMMAAN) चिन्हों को आंतरिक रूप से तथा एक प्रसिद्ध वैश्विक विपणन संचार एजेंसी के माध्यम से किए गए गहन प्राथमिक और

> द्वितीयक अनुसंधान के बाद सद्भावनापूर्वक अपनाया, और ये चिन्ह प्रकृति में अद्वितीय, मनमाने तथा विशिष्ट हैं।
>
> 20.10. सम्मान (SAMMAAN) चिन्ह प्रतिवादीगण के गहरे मूल्यों, ग्राहक विश्वास तथा उनके दीर्घकालिक विकास और नवाचार की यात्रा से प्रेरित है। सम्मान चिन्ह परंपरा और दूरदर्शिता का संगम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निर्णय और सेवा में वह आदर और उत्कृष्टता समाहित हो, जिसके ग्राहक अधिकारी हैं।

<u>विश्लेषण</u>

30. न्यायालय को यह निर्णय लेना आवश्यक है कि 13 फरवरी 2024 को प्रदान की गई *यथास्थिति* (status quo) को जारी रखा जाए या उपर्युक्त तर्कों के आधार पर आक्षेपित निर्णय के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाए।

31. न्यायालय की दृष्टि में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की परस्पर विरोधी दलीलों ने, जिनके पीछे निःसंदेह विधिज्ञान का अपार भंडार है, विचार हेतु कई गंभीर प्रश्न उत्पन्न किए हैं। इनमें से कुछ को, फिलहाल, निम्नलिखित रूप में गिनाया जा सकता है:

> (i) क्या भ्रम की संभावना का पहलू ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 29(1) से परे है? श्री सेठी का मत है कि ऐसा है, क्योंकि यह उपधारा, इसके बाद आने वाली उपधाराओं (2) से (4) के विपरीत, भ्रम की संभावना का कोई उल्लेख नहीं करती। हालाँकि, विषय जटिल हो जाता

है क्योंकि धारा 29(1) में "भ्रामक रूप से समान" (deceptively similar) शब्द का प्रयोग किया गया है, और धारा 2(ह) यह कहती है कि *"यदि कोई चिन्ह किसी अन्य चिन्ह से इतना मिलताजुलता है कि <u>वह धोखा देने या भ्रम उत्पन्न करने की संभावना रखता है</u>,* तो उसे भ्रामक रूप से समान माना जाएगा।" इस प्रकार, भ्रम की संभावना किसी चिन्ह को भ्रामक रूप से समान माने जाने की आवश्यक पूर्वशर्तों में से एक है। धारा 29(1) तब लागू होती है जब प्रतिवादी का चिन्ह वादी के चिन्ह से समान या भ्रामक रूप से समान हो। यह किसी का भी दावा नहीं है कि अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी के चिन्ह समान हैं – और वास्तव में, ऐसा हो भी नहीं सकता। अतः वादी के रूप में, प्रत्यर्थी पर यह दायित्व होगा कि वह यह साबित करे कि दोनों चिन्ह भ्रामक रूप से समान हैं, ताकि धारा 29(1) लागू हो सके, और इसके लिए प्रत्यर्थी को यह सिद्ध करना होगा कि अपीलार्थीगण के चिन्हों का उपयोग भ्रम उत्पन्न करने की संभावना रखता है।

(ii) क्या चिह्न ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं? यद्यपि मौखिक उच्चारण में वे समान प्रतीत हो सकते हैं, किंतु ध्वन्यात्मक समानता के मामले में लागू होने वाला निर्णायक परीक्षण वही है, जिसे ***पियानोटिस्ट*** मामले में प्रतिपादित किया गया था, और जिसे उच्चतम न्यायालय ने, अन्य

के साथ-साथ, ***अमृतधारा फार्मेसी बनाम सत्य देव गुप्ता***[21], ***एफ. हॉफमैन-ला रोश एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जेफ्री मैनर्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड***[22], ***एस.एम. डाइकेम लिमिटेड बनाम कैडबरी (इंडिया) लिमिटेड***[23], ***कैडिला हेल्थ केयर बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड***[24] तथा ***खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन***[25] में उद्धृत किया है। ***पियानोटिस्ट*** परीक्षण के अनुसार, न्यायालय को निम्नलिखित बातों पर विचार करना होता है:

(क) शब्दों का रूप और ध्वनि,

(ख) वे वस्तुएँ या सेवाएँ जिन पर वे लागू होते हैं,

(ग) उस ग्राहक का स्वभाव और प्रकार जो उन वस्तुओं को खरीदने की संभावना रखता है,

(घ) सभी परिवेशगत परिस्थितियाँ, और

(ङ) यदि प्रत्येक चिन्ह को संबंधित स्वामियों की वस्तुओं के लिए सामान्य रूप से व्यापार-चिह्न के रूप में प्रयोग किया जाए तो क्या होने की संभावना है।

न्यायालय की राय में, यह प्रश्न कि उपरोक्त सभी मानदंडों को लागू करने पर अपीलार्थीगण के चिन्ह प्रत्यर्थी के चिन्हों से इतने समान हैं

[21] **AIR 1963 SC 449**
[22] **(1969) 2 SCC 716**
[23] **(2000) 5 SCC 573**
[24] **(2001) 5 SCC 73**
[25] **(2008) 10 SCC 723**

कि वे भ्रम उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं, गहन विश्लेषण की माँग करता है और न्यूनतम रूप से भी विवादास्पद है।

(iii) प्रथमदृष्टया, **औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मृति वाले उपभोक्ता की कसौटी इस प्रकार के मामले पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकती**, जहाँ अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी ऋण प्रदान करते हैं, **और अपीलार्थीगण निर्विवाद रूप से बाज़ार में सबसे बड़ी ऋण-वित्तपोषण कंपनियों में से हैं, जिनकी प्रतिष्ठा स्थापित और प्रभावशाली प्रतीत होती है। अपीलार्थीगण** द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण की न्यूनतम राशि ₹40 लाख है। यह प्रश्न कि क्या बड़े ऋण लेने वाले – **अथवा सामान्य रूप से ऋण लेने** वाले – **उपभोक्ता केवल इस कारण से अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी से भ्रमित कर सकते हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा** SAMMAAN चिन्ह का **प्रयोग किया गया है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा** SVAMAAN **चिन्ह प्रयुक्त है, पुनः विचार और बहस का विषय होगा।**

(iv) **हम यहाँ यह ध्यान दें सकते हैं कि अपीलार्थीगण की ओर से श्री नायर ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान किया जाने वाला** अधिकतम ऋण ₹10 लाख तक का है। यदि ऐसा है, **तो यह प्रश्न उद्भूत होगा कि क्या दोनों के ग्राहक वर्ग में कोई भी ओवरलैप है** अथवा नहीं।

(v) एक अन्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या स्वमान (SVAMAAN) और सम्मान (SAMMAAN) चिन्हों के बीच विचार की समानता (commonality of idea) का आरोप लगाया जा सकता है ताकि विचार उल्लंघन (idea infringement) का मामला बनाया जा सके। इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न यह भी होगा कि यदि "सम्मान" एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रशंसात्मक या वर्णनात्मक अभिव्यक्ति है – जो स्वयं विवादास्पद हो सकता है – तो क्या इसके प्रयोग पर व्यादेश (injunction) दी जा सकती है, भले ही उल्लंघन का प्रथमदृष्टया मामला बनता हो।

(vi) प्रत्यर्थी की दलीलों में से एक यह है कि उल्लंघन (infringement) के मामले में, नकल बनाने (passing off) के विपरीत, अतिरिक्त तत्व या चिन्हों के बीच दृश्य असमानता अप्रासंगिक है। यदि ऐसा है, तो क्या माननीय एकल न्यायाधीश इस आधार पर ***वसुंधरा*** के निर्णय को – जिसे एक खंडपीठ ने भी अनुमोदित किया था – केवल इस कारण से भिन्न ठहराने में उचित थे कि उस मामले में तुलना डिवाइस चिन्हों (device marks) के बीच थी, न कि शब्द चिन्हों (word marks) के बीच?

(vii) इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलार्थीगण अपने सभी प्रचार सामग्री में ""पहले इंडियाबुल्स होम लोन्स के रूप में जानी जाने वाली

(formerly known as Indiabulls HOME LOANS)" शीर्षक जोड़ रहे हैं, क्या भ्रम की संभावना कम नहीं हो जाती? इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी का यह ज़ोर कि उक्त शीर्षक को शामिल करना कंपनी अधिनियम की धारा 12(3) के कारण आवश्यक था, किस हद तक प्रासंगिक है? साथ ही, अपीलार्थीगण का यह प्रस्ताव कि वे उक्त शीर्षक को अपने सभी विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में निरंतर शामिल करते रहेंगे–जो उनके अनुसार उनकी सद्भावना को भी दर्शाता है और इस प्रतिविरोध का समर्थन करता है कि वे प्रत्यर्थी की प्रतिष्ठा पर निर्भर होने का प्रयास नहीं कर रहे–भी गंभीर विचार का विषय है। अंततः यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उल्लंघन को रोकने हेतु व्यादेश का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना है, न कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दबाना।

(viii) बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा ***सिप्ला*** मामले में दिए गए निर्णय तथा वह वर्तमान मामले पर किस सीमा तक लागू होता है और उसे किस प्रकार प्रभावित करता है, यह भी गंभीर विचार की मांग करता है। अपीलार्थीगण की दलील यह है कि सम्मान (SAMMAAN) उनके कॉर्पोरेट नाम का हिस्सा है और इसलिए व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29(5) के दृष्टिगत उसे उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता। इससे आगे बढ़ते हुए, और ***सिप्ला*** का हवाला देते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई चिन्ह धारा 29(5) द्वारा संरक्षित है,

तो उसे धारा 29 की पूर्ववर्ती उपधाराओं के आधार पर व्यादेश नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा सम्मान (SAMMAAN) के प्रयोग की सीमा – अर्थात् यह मात्र उनके कॉर्पोरेट नाम का हिस्सा होने से आगे बढ़कर किस हद तक प्रयुक्त हो रहा है – और परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण को इसके प्रयोग से रोकने की सीमा, यदि कोई हो, भी प्रासंगिक हो जाती है।

(ix) इन मुद्दों के साथ-साथ, इस बात पर भी विचार करना होगा कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू होने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, तो अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी को किस प्रकार के प्रतिकूल पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। यह तथ्य कि अपीलार्थीगण अक्टूबर 2023 से, प्रत्यर्थी की जानकारी में, ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 2(ग)[26] के अर्थ में अपने उपनाम (moniker) के हिस्से के रूप में "सम्मान" का प्रयोग कर रहे हैं, और जुलाई 2024 से इस चिन्ह का वाणिज्यिक उपयोग स्वीकार्य रूप से कर रहे हैं, भी सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के विचारों का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा। यह भी विचारणीय होगा कि "जोखिम और संकट" (risk and peril) का तर्क

---

[26] **2. परिभाषाएँ और व्याख्या**

*****

(c) "सहयुक्त (Associated) ट्रेड मार्क्स" से अभिप्राय उन व्यापार चिह्न से है, जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत सहयुक्त व्यापार चिह्न के रूप में माना गया हो या सहयुक्त व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकृत किया जाना आवश्यक हो।

अपीलार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्वर्ती व्यादेश (interlocutory injunction) प्रदान करने को किस सीमा तक न्यायसंगत ठहरा सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जब प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण को पहला सीज़एंडडेसिस्ट नोटिस जारी करने के लगभग एक वर्ष बाद, और अपीलार्थीगण द्वारा चिन्ह का वाणिज्यिक उपयोग प्रारंभ होने के कम से कम चार महीने बाद – जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी को थी – यह वाद दायर किया।

32. कहने की जरूरत नहीं है कि इन सभी पहलुओं पर विचार ***वांडर*** की सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए।

33. हम इस स्तर पर इन पहलुओं पर कोई भी अस्थायी राय देने का इरादा नहीं रखते हैं, ताकि अपील की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह न हो।

34. हालाँकि, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए–

(i) अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी की जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2023 से अपने डोमेन नाम के हिस्से के रूप में और कम से कम मई 2024 से अपने व्यापार-चिह्न के हिस्से के रूप में व्यावसायिक रूप से "सम्मान (Sammaan)" का उपयोग किया है।

(ii) अक्टूबर 2024 में वाद दायर किए जाने के पश्चात भी, 10 फरवरी 2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तक, प्रत्यर्थीगण के पक्ष में कोई व्यादेश नहीं था,

(iii) आक्षेपित निर्णय को तुरंत लागू करने से अपीलार्थीगण को स्पष्ट रूप से नुकसान होने की संभावना है, जिन्हें अपने शब्द चिह्न, डिवाइस चिह्न और यहां तक कि कंपनी का नाम भी तुरंत बदलना होगा, जिस नाम से अपीलार्थीगण ने आरबीआई से मंजूरी, आरओसी पंजीकरण और जीएसटी पंजीकरण आदि प्राप्त किए हैं, चूंकि, जैसा कि उपरोक्त पैरा 31 में उल्लेखित विभिन्न मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है, इसलिए इस न्यायालय के लिए प्रथम दृष्टया भी दोनों पक्षों की दलीलों के गुणागुण पर अंतिम राय देना समय से पहले होगा, हमारा मानना है कि न्याय के हित में यह सबसे अच्छा होगा कि अपील की सुनवाई एक निश्चित तिथि और समय पर निर्धारित की जाए, और इस बीच, इस अपील के निपटान तक 13 फरवरी 2025 को हमारे द्वारा दी गई यथास्थिति को जारी रखा जाए।

35. साथ ही, इस अंतरिम अवधि में भ्रम की संभावना के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किया जाना भी आवश्यक है।

36. इन कारणों से, **हम सि.वि. आ. 8864/2025** (CM Appl. 8864/2025) तथा सि.वि. आ. 8869/2025 (CM Appl. 8869/2025) **का निपटान निम्नलिखित शर्तों पर करते हैं–**

(i) **यथास्थिति जैसा कि हमारे द्वारा** 13 फरवरी 2025 **को निर्देशित** किया गया था, **वर्तमान अपीलों के निपटान तक जारी** रहेगा। अतः तब **तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का प्रवर्तन** स्थगित रहेगा।

(ii) तथापि, **अपीलार्थीगण को अपने सभी विज्ञापनों और प्रचार अभियानों में–चाहे वे भौतिक हों या आभासी–"पहले इंडियाबुल्स के नाम से जाना** जाने वाला (Formerly known as Indiabulls)" का **शीर्षक** शामिल करना होगा, **जिसमें पूर्ववर्ती** Indiabulls **लोगो स्पष्ट एवं प्रमुख** रूप से प्रदर्शित हो, **ताकि उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से यह संदेश जाए कि अपीलार्थीगण मात्र इंडियाबुल्स कंपनियाँ हैं**, जिनका पुनः नामकरण किया गया है।

(iii) **इसके अतिरिक्त**, अपने विज्ञापनों और प्रचार अभियानों में अपीलार्थीगण को "**हमारा स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं (We have no connection with Svamaan Financial Services Pvt Ltd)**" का एक नोट/शीर्षक भी

शामिल करना होगा, जो उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हमारे विचार में, इससे प्रत्यर्थी की इस आशंका को पर्याप्त रूप से दूर किया जा सकेगा कि सम्मान (SAMMAAN) चिह्नों का उपयोग करके, अपीलार्थीगण उपभोक्ताओं को भ्रमित करके प्रत्यर्थी की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर सकते हैं।

(iv) उपर्युक्त शर्तें (ii) और (iii) आज से चार सप्ताह पश्चात लागू होंगी, तब तक वर्तमान में प्रचलित विज्ञापनों और प्रचार अभियानों का उपयोग जारी रखा जा सकता है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अपीलार्थीगण को अपने विज्ञापनों और प्रचार अभियानों में आवश्यक संशोधन करने के लिए युक्तिसंगत समय दिया जाना चाहिए।

37. अपीलों को अंतिम सुनवाई एवं निपटान हेतु 21 अप्रैल 2025 को अपराह्न 2:30 बजे सूचीबद्ध किया जाए। प्रत्येक पक्षकार (जिसमें सभी विद्वान अधिवक्ता शामिल होंगे) को अपनी प्रस्तुतियाँ पूरी करने के लिए 45 मिनट, और उससे अधिक नहीं, दिए जाएँगे, तथा प्रत्युत्तर के लिए 15 मिनट दिए जाएँगे।

38. प्रत्येक पक्षकार कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित प्रस्तुतियाँ अभिलेख पर प्रस्तुत करेगा, जो 5 पृष्ठों से अधिक नहीं होंगी, तथा उनके साथ

उन न्यायिक निर्णयों का विधिवत अनुक्रमित संकलन संलग्न होगा, जिन पर वे निर्भर करना चाहते हैं, और ऐसा करने से पूर्व अन्य सभी विद्वान अधिवक्तागण के साथ उसकी प्रतियाँ आपस में विनिमय कर ली जाएँगी। प्रस्तुतियों में सम्मिलित न किए गए बिंदुओं पर तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

39. 21 अप्रैल 2025 को सामान्यतः कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा।

40. सि.वि. आ. 8864/2025 (CM Appl. 8864/2025) तथा सि.वि. आ. 8869/2025 (CM Appl. 8869/2025) का निपटान तदनुसार किया जाता है।

न्या. सी. हरि शंकर

न्या. अजय दिगपाल

18 फरवरी, 2025
डीएसएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*